चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 24.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 24.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश व अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थाना बहिलपुरवा पुलिस टीम ने दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि 18.04.2025 को थाना बहिलपुरवा अन्तर्गत एक वादी द्वारा सूचना दिया गया कि दिनाँक 16.04.2024 की रात्रि में उसकी नाबालिक पुत्री घर पर अकेली थी तभी दिनेश पुत्र जग्गू घर में घुस कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना तथा शोर करने पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देना । इस घटना के सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 20/2025 धारा 64,115(2),351(2)(3),333 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम दिनेश पुत्र जग्गू पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 24.04.025 को थाना प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अभियुक्त दिनेश पुत्र जग्गू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी

2.आरक्षी मोनू राय

3.आरक्षी रोहित सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका श्रीमती रंजना दुबे पत्नी रोहित दुबे निवासी देउरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट हाल मुकाम ताम्रबनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति रोहित दुबे,सास संतोष दुबे,ससुर ब्रज किशोर,व चाची शालू दुबे द्वारा प्रार्थिया को गाली गलौज,मारपीट,जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी मंजूलता पाल

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी हिमांशू पटेल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनाँक 24.04.2025 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 186/2007 धारा 379/411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त दिनेश पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम कुडीबरहा थाना जनेह जनपद रीवा म0प्र0 को 01 वर्ष 02 माह का साधारण कारावास व 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।\

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 26.09.2007 को वादी श्री चुनकू पुत्र धनपत निवासी बरगढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दिया गया कि दिनाँक 26.09.2007 को दिनेश पुत्र छोटेलाल निवासी कुडीबरहा थाना जनेह जनपद रीवा म0प्र0 द्वारा घर से चाँदी के जेवरात चुरा ले जाना। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 186/2007 धारा 380 पंजीकृत किया गया । दिनाँक 26.09.2007 को ही आरोपी अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर व बरामदगी करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोतरी किया गया तथा दिनाँक 23.10.2007 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

(6).आज दिनाँक 24.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जिला स्पोर्टस स्टेडियम में चल रही उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड व उडीसा राज्य के मध्य राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथी के रुप में खिलाडियों का उत्साह वर्धन किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिव्यांग खिलाडियों का परिचय प्राप्त कर उनके हौसले और मेहनत की सराहना की।

इस दौरान पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं समस्त दिव्यांग टीमो के खिलाड़ी व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।